न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 107 / 2023

प्रार्थी

बनाम

1. धारूराम पुत्र सोनाराम जाति मेघवाल निवासी एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण

1. रामलाल पुत्र तिलोकाराम
2. मूलाराम पुत्र तिलोकाराम
3. सुखीदेवी पत्नि तिलोकाराम जातियान मेघवाल निवासी सिणधरी उर्फ बेड तहसील सिणधरी
4. अणसी पत्नि पुरखाराम
5. कमला पुत्री पुरखाराम
6. चनणी पुत्री पुरखाराम
7. मांगी पुत्री पुरखाराम जातियान मेघवाल निवासी एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
8. खुमाराम पुत्र हराराम जाति गवारिया निवासी सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी जिला बाडमेर
9. ठाकराराम पुत्र खेराजराम
10. पन्नाराम पुत्र जोधाराम
11. लिखमाराम पुत्र जोधाराम
12. गेनीदेवी पत्नि सुखाराम
13. सुखाराम पुत्र खीयाराम
14. निम्बाराम दतकपुत्र जालाराम
15. पेम्पोदेवी पुत्री जालाराम
16. चनणीदेवी पत्नि निम्बाराम
17. पूरोंदेवी पत्नि लालाराम जातियान जाट निवासी सिणधरी उर्फ बेड तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
18. तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:36:45 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान [illegible]राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखम[illegible] बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, वकील प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री रामदेव वकील विप्रार्थी सं. 1 व 2 के वकील अनुपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

3. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 10.01.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा सिणधरी उर्फ बेड के खेत खसरा संख्या 67/27 रकबा 2.7911 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा सिणधरी उर्फ बेड के खेत खसरा संख्या 67/27 रकबा 2.7911 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 1 व 2 की तरफ से वकील श्री रामदेव उपस्थित हुए परन्तु न तो उनके द्वारा जवाब पेश किया गया ओर न ही पैरवी हेतु उपस्थित हुए। शेष विप्रार्थी सं. 3 से 17 की तरफ से आइन्दा जवाब मय वकालतनामा पेश करने की अन्डरटेकिंग भी वकील श्री रामदेव द्वारा ली गई, परन्तु उनके तरफ से भी वकालतनामा पेश नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में उक्त विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा सिणधरी उर्फ बेड के खेत खसरा संख्या 67/27 रकबा 2.7911 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा सिणधरी उर्फ बेड के खेत खसरा संख्या 67/27 रकबा 2.7911 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने का आदेश फरमावे जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:36:45 IST
Reason: SelfAttested

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा सिणधरी उर्फ बेड के खेत खसरा संख्या 67/27 रकबा 2.7911 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076—2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है विप्रार्थी सं. 1 व 2 की तरफ से वकील श्री रामदेव उपस्थित हुए परन्तु न तो उनके द्वारा जवाब पेश किया गया ओर न ही पैरवी हेतु उपस्थित हुए एवं शेष विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा सिणधरी उर्फ बेड के खेत खसरा संख्या 67/27 रकबा 2.7911 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 10.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:36:45 IST
Reason: SelfAttested